संख्या 20014/01/2025-रा.भा (का-2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
******

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 24/11/2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47 वीं बैठक के तीनों चरणों का आयोजन दिनांक 06, 07 व 10 नवंबर, 2025 को सम्मेलन कक्ष संख्या 34000 बी, चतुर्थ तल, कर्त्तव्य भवन -3, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की समीक्षा करना है। कॉलिक की 47वीं बैठक में मंत्रालयों/विभागों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, इस हेतु सभी का अभिनन्दन।

2. इस समीक्षा बैठक में सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऑनलाइन भरी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचनाओं की समीक्षा की गई, कमियों को चिन्हित किया गया, लक्ष्यों में आई कमियों पर चर्चा की गई तथा सुधार हेतु सभी के साथ विचारों को साझा किया गया। साथ ही मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों पर भी चर्चा की गयी। बैठक के कार्यवृत्त को राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in के 'अद्यतन सूचनाएं' लिंक पर देखा जा सकता है।

3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में पाई गई कमियां, राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर 01 माह के अंदर अनुवर्ती कार्रवाई कर राजभाषा विभाग को santosh.gupta89@nic.in पर सूचित करें।

(ले.कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक (का.)
दूरभाष: 23438143

संलग्न: यथोपरि
प्रति:
1. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा.) (सूची सलंग्न)।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी अनुभाग/डेस्क(वेबसाइट के माध्यम से)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग(का.2)
***

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉलिक) की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2024-25 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा हेतु सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में कॉलिक की 47वीं बैठक का आयोजन 06, 07 तथा 10 नवंबर, 2025 को सम्मेलन कक्ष संख्या 34000 बी, चतुर्थ तल, कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली में किया गया।

2. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए उक्त बैठक में प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में क्रमशः 27, 26 तथा 28 मंत्रालयों/विभागों (**सूची अनुलग्नक 'क' पर**) के संयुक्त सचिवों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की **सूची अनुलग्नक 'ख'** पर उपलब्ध है।

3. सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में एक बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा नीति, कानूनी प्रावधानों, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत सिफारिशों की समीक्षा/आदेश आदि की समीक्षा करना है। इससे पहले सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में इस प्रकार की 46 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उन्होंने अवगत करवाया कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की जैसी स्थिति मंत्रालयों/विभागों में होनी चाहिए, वैसी अभी नहीं है। इस संबंध में सचिव महोदया ने अनुच्छेद 343 तथा 351 का विशेष रूप से उल्लेख किया। सचिव महोदया ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको इस दिशा में मिलकर सार्थक प्रयास करना है।

4. सचिव, राजभाषा विभाग ने आगे अवगत कराया कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की मॉनिटरिंग करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बहुत बल दिया है। इस दिशा में यह बैठक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी काम-काज में संघ की राजभाषा नीति के प्रयोग की समीक्षा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बैठक में सभी मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने का हमें अवसर मिलता है और वे हिंदी के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, साथ ही अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

5. सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि जैसा कि आपके विदित है कि संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। इस अवसर पर मैं आप सब वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन अपने कार्यालयों में सुनिश्चित करवाएं और राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में अभी भी बहुत से कार्यालय ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं तथा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा है

कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को यथाशीघ्र पंजीकृत करवाएं तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करें।

6. तत्पश्चात बैठक की कार्रवाई निम्नानुसार बिन्दुओं पर पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से शुरू की गई :-

(I) **'भारती' बहुभाषी अनुवाद सारथी सॉफ्टवेयर पर प्रस्तुतीकरण**

हिंदी दिवस-2025 तथा पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लोकार्पित बहुभाषी अनुवाद सारथी सॉफ्टवेयर 'भारती' पर CDAC द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। इस टूल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना और हिंदी तथा राज्यों की प्रथम आधिकारिक भाषाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना एवं सार्वभौमिक अनुवाद सुविधा प्रदान करना है।भारती - बहुभाषी अनुवाद सारथी अनुवाद स्मृति (TM), न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (NMT) और ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR) जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर उच्च-गुणवत्ता वाली अनुवाद प्रणाली है।

(II) **विभाग की लोकार्पित पुस्तकें व 'हिंदी शब्द सिन्धु' पर प्रस्तुतीकरण**

(क) इसके पश्चात पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान लोकार्पित ऑनलाइन बहुभाषी शब्दकोश **'हिंदी शब्द सिन्धु'** पर सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण दी गयी। 'हिंदी शब्द सिंधु- शब्दकोश' देश की अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्ध करने और भारतीय भाषाओं के परस्पर समन्वय को बढ़ाने की दिशा में विकसित किया जा रहा ऑनलाइन बहुभाषी कोश है। वर्तमान में इसके डेटाबेस में सात लाख से अधिक प्रविष्टियाँ हैं।

(ख) साथ ही राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान माननीय गृह मंत्री जी द्वारा विमोचित राजभाषा विभाग की पुस्तकों **(क) ऑपरेशन सिंदूर- परंपरा, प्रतीक और पराक्रम (ख) कॉफ़ी टेबल बुक "संघटनतः पूर्णतां प्रति चरैवैति चरैवैति" (ग) भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी : सह-अस्तित्व की गाथा (घ) भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी : अनुवाद के आयाम** पर सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। इन पुस्तकों की खरीद प्रकाशन विभाग से की जा सकती है।

(III) तत्पश्चात निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उनके संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, योजनाओं, अधिदेश व अनुवाद कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी।

(IV) साथ ही अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग(का.) द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे में वर्ष 2025-26 से किए गए संशोधन संबंधी प्रस्तुतीकरण दी गई। इस प्रस्तुतीकरण द्वारा प्रोफार्मे में **माननीय मंत्री जी को भेजी गईं फ़ाइलों एवं सचिव/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फाइलों का ब्यौरा** समेत कई अन्य महत्वपूर्ण संशाधनों की जानकारी विस्तारपूर्वक प्रस्तुत की गई।

7. तत्पश्चात सचिव, राजभाषा विभाग के निदेश पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने पॉवर प्वांइट प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से सभी प्रतिभागियों से उनके मंत्रालयों/विभागों से की जा रही अपेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने आगे बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषी जारी किए जाने अपेक्षित हैं। साथ ही राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(I) उन्होंने इस बात पर सभी प्रतिभागियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए बताया कि यदि कोई कार्यालय धारा 3(3) का अनुपालन नहीं करता है तो वह राजभाषा विभाग की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों के मूल्यांकन से पूर्णत: वंचित हो जाता है। साथ ही यदि कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं करता है तो पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय उसके **-20** नंबर दिए जाते हैं जिससे वह पुरस्कारों की श्रेणी से लगभग बाहर हो जाता है अथवा दूसरे कार्यालयों के मुकाबले, राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने में, उसका स्थान नीचे हो जाता है।

(II) अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने आगे यह भी अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। अंग्रेजी वेबसाइट और हिंदी वेबसाइट को साथ-साथ अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभ्यास आधारित कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कार्मिकों का यथाशीघ्र प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा सभी को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन्हें इन प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त भी करें।

(III) जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समिति गठित नहीं है, वहां इसका शीघ्रगठन/पुनर्गठन आवश्यक है ताकि इसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा सकें। सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी काम करने की सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्मिकों को हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा बाई-डिफाल्ट पहले ही से उपलब्ध है, केवल उन्हें यूनिकोड इनेबल करने की आवश्यकता है। अपने-अपने कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का, प्रत्येक तिमाही में, नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

(III) इसके अलावा उन्होंने अवगत कराया कि ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा अर्थात एक महीने के अंदर, प्रमाण पत्र सहित, भेजना सुनिश्चित करवाएं क्योंकि राजभाषा पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजे जाने पर 18 अंक, 60 दिनों के अंदर भेजे जाने पर 9 अंक दिए जाते हैं। 60 दिनों के बाद रिपोर्ट भेजे जाने पर 18 अंक काट लिए जाते हैं।

(IV) वेबसाइट के द्विभाषीकरण पर बल देते हुए अनुसंधान अधिकारी ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया कि यदि वेबसाइट को बाई-डिफाल्ट हिंदी में खोलने में समस्या आ रही हो तो वेबसाइट के खुलते समय मुख पृष्ठ पर हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का विकल्प दिया जाए ताकि प्रयोक्ता आसानी से भाषा विकल्प का चयन कर सके।

(V) सचिव, राजभाषा विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों की अद्यतित जानकारी विभाग को भेजने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिक्त पदों को भरने का निदेश दिया।

बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:

1. वर्ष 2025-26 से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे में कतिपय संशोधन लागू कर दिया गया है। कृपया नए प्रोफार्मे के अनुरूप रिपोर्ट भरें।

2. मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ जिन कार्यालयों/संगठनों/बैंकों/ उपक्रमों/ संस्थाओं आदि में हिंदी के रिक्त पदों को भरने संबंधी आवश्यक कार्रवाई त्वरित रूप से की जाए। जहाँ नए पद सृजित किए जाने है अथवा RR में संशोधन किया जाना हो, उसे यथासंभव तत्काल करवाना सुनिश्चित करवाएं।

3. सभी मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से भरें। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट तथा अपने विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र (मोहर सहित) भरवाना सुनिश्चित करें।

4. तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में आ रही किसी भी समस्या के लिए एनआईसी (NIC) के **सहायता केंद्र/HelpDesk : support-rajbhasha[at]gov[dot]in** व **दूरभाष : 011-23438178** पर संपर्क करें।

5. कार्यालय में धारा 3(3) एवं नियम-5 का उल्लंघन न करें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

6. कंठस्थ(2.0) अब 'भारती' अनुवाद टूल में समाहित कर लिया गया है। अतः अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद के लिए 'भारती' का उपयोग किया जाए जो कि और उन्नत व प्रयोक्ता सुलभ हो चुका है।

7. नई दिल्ली एवं हैदराबाद में आयोजित 'राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह' तथा गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस तथा पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पधारे अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में भी ऐसे सम्मेलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

8. हिंदी सलाहकार समिति का गठन करवाएं। गठन के उपरांत वर्ष में दो बैठकें करवाना सुनिश्चित करवाएं।

9. वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी करवाएं। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी को भी हमेशा अपडेट करवाना सुनिश्चित करवाएं। वेबसाइट का मुख्यपृष्ठ हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषा के विकल्प के साथ खुले।

10. सभी मंत्रालय/विभाग राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह व पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री जी द्वारा विमोचित चारों पुस्तकों की यथासंभव प्रतियां प्रकाशन विभाग से क्रय कर इसे अपने पुस्तकालयों में भी उपलब्ध कराएं।

11. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल कार्य हिंदी में हो।

12. सभी कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा, यूनिकोड को सक्रिय करवाएं।

13. भविष्य में आयोजित होने वाली कॉलिक की बैठकों में संयुक्त सचिव व समकक्ष अधिकारी अवश्य उपस्थित हों।

मंत्रालय/विभाग-वार विस्तृत समीक्षा अगले पृष्ठ से देखी जा सकती है:-

मंत्रालय/विभाग-वार समीक्षा

6.1 अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया लेकिन 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया। अंतरिक्ष विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण में पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखने को मिली है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर होम पृष्ठ, गतिविधियां, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, अंतरिक्ष व्यापार, अंतरिक्ष शिक्षकों की सूची आदि के लिंक अंग्रेजी में हैं।

प्रतिनिधि ने बताया कि नियम 5 के अनुपालन के उल्लंघन को गहनता से जांचा जाएगा तथा इसमें सुधार किया जाएगा। वेबसाइट का आकलन सही है तथा इस पर दिख रही कमियों पर ध्यान दिया जा रहा है और इन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमारा प्रयास मुख्य बिन्दुओं को द्विभाषी विकल्प में दिखाना है। उन्होंने सूचित किया कि सभी आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे हिंदी में कार्य करने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि आंकड़ों में गत वर्ष की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। रिक्त पदों के सम्बन्ध में उन्होंने सूचित किया कि 17 पद रिक्त हैं जिन्हें भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 14 पदों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, वहीं 3 पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे।

6.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क'और 'ख' 'ग' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर अधिकारियों के बीच कार्यों का आबंटन, संगठनात्मक चार्ट एवं कौन क्या है लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारी कोशिश है कि प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हिन्दी व्याख्यान को लेकर मंत्रालय के सचिव महोदय द्वारा प्रतिभागियों को इनाम/प्रोत्साहन दिया जा रहा है। टिप्पणी क्यों कम हो रही है यह विभाग द्वारा संज्ञान में लाया गया है तथा इसकी जानकारी संबंधित विभागों से मांगी जा रही है। वेबसाइट को द्विभाषी करने की प्रक्रिया जारी है तथा इसे बाई डिफाल्ट हिंदी में किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने वरिष्ठ व कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त होने की सूचना दी। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद भरे जाने का आश्वासन दिया।

6.3 आयुष मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया लेकिन 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया। मंत्रालय 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य के काफी करीब है। हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है जो कि

सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प होना सराहनीय है। हालाँकि कुछ टैब हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि नियम 5 के अनुपालन को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके उल्लंघन की जाँच करवाई जाएगी और जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। हमारा मंत्रालय पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा आने वाले समय में इस क्षेत्र में काफी सुधार दिखेगा। इसके अलावा वेबसाइट पर कुछ सामग्री अपलोड नहीं की जा सकी है। इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

6.4 आर्थिक कार्य विभाग

विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु नागरिक चार्टर, संगठन चार्ट, निविदाएँ, शिकायत निवारण की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में हिंदी के काफी पद रिक्त थे जिसकी वजह से कार्य प्रभावित हुआ है। हालाँकि पद भरे गए हैं और कमियों को संज्ञान में लाते हुए सुधारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य हाने की वजह से वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो कमियाँ हैं उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लिया जाएगा। वेबसाइट हाल ही में तैयार की गई है तथा इस कार्य के लिए दो नोडल नियुक्त किए गए हैं। वेबसाइट के सभी अपेक्षित बिन्दुओं को यथाशीघ्र सुधार लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने 14 में से 6 पदों के रिक्त होने की सूचना दी।

6.5 आवासन और शहरी कार्य-मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है लेकिन वेबसाइट पर ज्यादातर लिंक हिन्दी में नहीं दिए गए हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या को शून्य दर्शाया जाना जांच का विषय है इसे सुधार लिया जाएगा। लक्ष्य में कमियों को माननीय राज्य मंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए इन्हें सुधारे जाने का निदेश दिया है। मंत्रालय की वेबसाइट को और उन्नत बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होनें बताया कि मंत्रालय के अंतर्गत अनुभागों की संख्या ज्यादा होने के कारण सभी से सूचनाएँ मिलने में देरी होती है इसलिए कभी-कभी रिपोर्ट भेजे जाने में विलम्ब होता है। रिपोर्ट शीघ्र ही भेज दी जाएगी। प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ 3 रिक्त पद है जिसमें उप निदेशक, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद रिक्त है। अध्यक्ष महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद भरे जाने का आश्वासन दिया।

6.6 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क',और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य के करीब है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय द्वारा सभी नियमों की अनुपालना की जा रही है। कमियों पर मंत्रालय ध्यान दे रहा है। हिन्दी में कार्य को लेकर मंत्रालय काफी सुधार कर रहा है तथा कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है।हमारी वेबसाइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा देखी जाती है इसलिए इसको 22 भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है। सचिव महोदया ने सुझाव दिया कि माननीय मंत्री जी के सुझाव से वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का विकल्प देने का विचार किया जा सकता है।

6.7 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता पिछले वर्ष शत-प्रतिशत दिखाई गई थी जो कि इस वर्ष शून्य दर्शाई गई है। हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों एवं टंककों की प्रतिशतता भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु कुछ लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी में कार्य करने के निदेश दिए गए हैं। किए जा रहे प्रयासों से प्रतिशतता में वृद्धि जल्दी ही परिलक्षित होने लगेगी। हमारे मंत्रालय की वेबसाइट मुख्य रूप से हिंदी में खुलती है और जो भी कमियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हिंदी सलाहाकार समिति के गठन हेतु फ़ाइल राजभाषा विभाग को भेज दी गई है।

6.8 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है।फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिन्दी टंककों की संख्या शून्य दर्शायी गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि सभी क्षेत्रों की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष से भरी जा रही रिपोर्टों में वृद्धि देखी जा सकती है। प्रतिनिधि ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुपालन की जाँच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वेबसाइट की कमियों को दूर करने के प्रयास किए

जा रहे हैं। साथ ही उन्होनें मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रिक्त पद को भरे जाने का अनुरोध किया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी दिए जाने का आश्वासन दिया।

6.09 उर्वरक विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया लेकिन 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। यह आंकड़ा लक्ष्य से काफी पीछे है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कई लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ तकनीकी कार्य ज्यादा है जिसके कारण फाइलों की टिप्पण की प्रतिशतता कम है। हालाँकि नियम 5 के उल्लंघन की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर कार्य चल रहा है तथा इसे जल्द ही द्विभाषी कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में 4 पद खाली हैं तथा इन पदों को भरे जाने का अनुरोध किया ।

6.10 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' ,'ख' व 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग में हिंदी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की संख्या कम है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही 'ग' क्षेत्र में कमी को दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है । इसके लिए समय समय पर कार्यशालाएँ एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जा रही है तथा इनमें समस्याओं पर चर्चा कर कार्मिकों को हिंदी में मूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिनिधि ने बताया की ई-ऑफिस में हिंदी टाईपिंग करने का विकल्प सहज नहीं है। वेबसाइट अक्टूबर में लाँच की गई है। इस वजह से कुछ सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इस समस्या को जल्द दूर कर लिया जाएगा। विभाग द्वारा वार्षिक पत्रिका 'सुगंधी' के 11 वें संस्करण का प्रकाशन किया गया। उन्होंने CDAC द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षणों का विडियो प्रदान करने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के 2 पद तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 24 पद रिक्त हैं। इसके संबंध में सचिव महोदया ने विभाग हेतु कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की नियुक्ति का आश्वासन दिया ।

6.11 औषध विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग में हिन्दी में काम करने वाले टंककों व आशुलिपिकों की प्रतिशतता शून्य है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा ज्यादातर लिंक की

सूचना हिन्दी में दी गई है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उपरोक्त कमियों को हल करने की कोशिश विभाग द्वारा की जा रही है तथा हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम-काज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हिन्दी कार्यशाला के द्वारा कार्मिकों को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में तीन पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदया ने अधिकारी प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया।

6.12 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', एवं 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है । हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत प्रतिशत तथा हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य है। विभाग की वेबसाइट पर संगठन संरचना, महत्वपूर्ण लिंक और सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग की ओर से शामिल हुए प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट को सुधारा जा रहा है। प्रतिनिधि ने कहा कि हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या की विसंगति को पुन: देखा जाएगा। मूल कार्य हिंदी में करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सूचित किया कि विभाग में हिंदी के कई पद रिक्त हैं। इसके संबंध में अध्यक्ष महोदया ने इन पदों को शीघ्र भरे जाने का आश्वासन दिया गया।

6.13 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत के आस-पास है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर, डी.ए. और एफ.डब्ल्यू के संगठनात्मक चार्ट लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

शामिल हुए प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारे यहाँ माननीय मंत्री व राज्य मंत्री जी हिंदी में कार्य करने को बढ़ावा देते हैं जिसकी वजह से प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। उन्होंने सहायक निदेशक व उप निदेशक के पद भरे जाने का अनुरोध किया साथ ही आश्वासन दिया कि अगली बार हमारे यहाँ से पत्राचार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी चूँकि मंत्रीजी खुद इस मामले में काफी सजग हैं। उन्होंने सूचित किया कि विभाग में वर्तमान में 12 पद रिक्त होने की वजह से भी हिंदी के काम में कमी देखने को मिल रही है। अध्यक्ष महोदया ने इन पदों को शीघ्र भरे जाने का आश्वासन दिया गया।

6.14 कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है वहीं 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार, सहायता और पूछे गए प्रश्न, नागरिक चार्टर, निविदा, भर्ती, संगठन संरचना एवं मोबाइल एप पॉलिसी लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे मंत्रालय में वेबसाइट का नवीनीकरण किया जा रहा है तथा नागरिक चार्टर का अपडेशन जल्द पूरा हो जाएगा। इसे हिन्दी विकल्प के साथ जल्द ही कर लिया जाएगा । जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट यथाशीघ्र भेज दी जाएगी। टंककों को हिंदी में कार्य करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है । हिंदी पखवाड़े के संबंध में सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान 6 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गयीं और पुरस्कार वितरण किया गया। हमारे मंत्रालय में संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद खाली हैं जिसके संबंध में अध्यक्ष महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी दिए जाने का आश्वासन दिया गया।

6.15 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान तथा हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों व टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ टैब हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे विभाग का हिन्दी में पत्राचार पिछले साल से बढ़ा है और इसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट को सुधारा जा रहा है और इसे जल्द ही अपडेट कर लिया जाएगा । प्रतिनिधि ने सहायक निदेशक, उप निदेशक तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद भरे जाने का आग्रह किया। सचिव महोदया ने इन्हें शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया।

6.16 कोयला मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। आंकड़ों में गत वर्ष से कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर निविदाएं, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक जानकारी एवं सहायता, अधिनियम एवं नीतियाँ व अन्य कई लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि के बताया कि रिपोर्ट भेजने में कुछ लिपिकीय त्रुटि है जिसकी जाँच कर अपेक्षित सुधार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक हिंदी पत्रिका प्रकाशित की गई है तथा शीघ्र ही उसका विमोचन माननीय मंत्री जी द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही वेबसाइट की कमियों को जल्द ठीक करवा लिया जाएगा।

6.17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है वहीं 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर निविदा एवं भर्ती टैब हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा सभी लक्ष्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने कहा कि हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ संयुक्त निदेशक व कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त हैं तथा इन पदों को जल्द भरने का अनुरोध है । सचिव महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद भरे जाने का आश्वासन दिया ।

6.18 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है । आंकड़े लक्ष्य से काफी पीछे हैं। मंत्रालय में हिन्दी टंककों की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर संगठन चार्ट और नागरिक चार्टर लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने रिपोर्ट की समीक्षा से सहमति जताते हुए पत्राचार में वृद्धि का हरसंभव प्रयास करने तथा अगले वर्ष से आंकड़ों में वृद्धि का आश्वासन दिया । उन्होंने बताया कि हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तथा टंककों की स्थिति की जाँच की जाएगी। वेबसाइट की कमियों को दूर करते हुए जल्द ही उसे द्विभाषी कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद रिक्त है तथा इसे जल्द भरने की माँग की। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी दिए जाने का आश्वासन दिया गया।

6.19 उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)

विभाग से संबंधित वित्तीय वर्ष की सभी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः विभाग की समीक्षा नहीं की जा सकी है । विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है तथा रिपोर्ट न भेजे जाने की जाँच की जाएगी। उनके यहाँ बैठकों में सभी को मूल कार्य हिंदी में करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। हिंदी में कार्य करने हेतु कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । इसके परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। वेबसाइट हेतु द्विभाषी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है तथा इसे जल्द ही अपडेट कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने विभाग में राजभाषा के 23 में से 9 पद रिक्त होने की सूचना दी तथा इन्हें शीघ्र भरे जाने के अनुरोध किया। सचिव महोदया ने कहा कि जो मंत्रालय/विभाग पदों की सचूना नहीं दे रहे हैं उन कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति द्वारा करवाया जाएगा।

6.20 खान मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी में काम करने वाले आशुलिपिकों कि स्थिति की जाँच कर उसे सुधार लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। वेबसाइट पर जो भी लिंक हैं उन्हें द्विभाषी किए जाने का करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा शीघ्र भेज दी जाएगी। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हमारे मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त हैं। सचिव महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी दिए जाने का आश्वासन दिया । उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के संबंध में सूचित किया कि रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इन्हें यथाशीघ्र भर लिया जाएगा।

6.21 ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' ,'ख' व 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत प्रतिशत दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कौन क्या है, संगठन संरचना, वरिष्ठ अधिकारी कार्य आवंटन एवं सूचना का अधिकार लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतिशतता व फाइलों पर हिंदी में टिप्पण को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वेबसाइट पर कुछ बिंदु रह गए हैं इन्हें जल्द द्विभाषी कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ संयुक्त निदेशक व वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त है। इनके बदले एक उप निदेशक की मांग की गई। सचिव महोदया ने अनुरोध पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया ।

6.22 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

कार्यालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' व 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है कार्यालय की वेबसाइट बाई-डिफाल्ट हिन्दी में खुलती है जो कि सराहनीय है । इनकी वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु टेलीफोन निर्देशिका हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि वे खुद भी शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं तथा मूल कार्य हिंदी में करने हेतु सभी को प्रोत्साहित भी करते हैं । हिंदी में कार्य करने तथा प्रतिशतता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं । वेबसाइट में कुछ कमियां हैं उन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने हिंदी के लिए समर्पित होकर अच्छा कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई । जुलाई-सितम्बर तिमाही कि रिपोर्ट यथाशीघ्र भेज दी जाएगी।

6.23 जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में फाइलों पर टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय टैब की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि रिपोर्ट भेज दी गई है तथा उसमें कमियों की जाँच करवा ली जाएगी। हिन्दी के काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। वेबसाइट की कमियों को जल्द ठीक करने हेतु अनुभाग को निदेशित किया गया है तथा इसे जल्द ही ठीक करवा लिया जाएगा। पत्राचार व टिप्पण के लक्ष्य को जल्द हासिल करने का प्रयास किया जाएगा।

6.24 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है । फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। गत वर्ष हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या 143 थी जो कि इस वर्ष शून्य दर्शाई गई है इस आंकड़े पर ध्यान दिए जाने की जरुरत है । मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट की कमियों को जल्द ठीक करवा लिया जाएगा तथा इसके लिए NIC से संपर्क किया गया है। साथ ही पत्राचार की कमियों को हल करने के लिए भी प्रयासरत हैं।

6.25 डाक विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के काफी करीब है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों व आशुलिपिकों की संख्या शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि डाक विभाग आमजन से जुड़ा विभाग है तथा हमारा पूरा प्रयास होता है कि हिन्दी में ही कार्य किया जाए। वेबसाइट का नवीनीकरण किया गया है जो कि अब 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी और इसमें जो भी कमियाँ है उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लिया जाएगा। 'ग' क्षेत्र में पत्राचार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त हैं। इसके संबंध में सचिव महोदया ने शीघ्र पदों के भरे जाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों की सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि 101 पद खाली हैं तथा भर्ती नियम बनाते हुए इन पदों को जल्द ही भर लिया जाएगा। इस संबंध में DOPT से नही संपर्क किया गया है ।

6.26 दूरसंचार विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा प्रतिशत गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्य से काफी कम है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है । विभाग की वेबसाइट पर निर्देशिका, संगठनात्मक संरचना, डाउनलोड एवं आयोजन की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधि ने बताया कि 80 प्रतिशत अनुभाग तकनीकी होने की वजह से हिंदी में पत्राचार के आंकड़े कम हैं। हिंदी में मूल कार्य करने के लिए निदेश दिए जा रहे हैं। आने वाले तीन से छः माह में हिंदी के कार्य में प्रगति परिलक्षित होने लगेगी। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ कार्यालयों में नए पदों का सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट की कमियों को जल्द दूर किया जाएगा।

6.27 उपभोक्ता मामले विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है वहीं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के काफी करीब है । 'ग' क्षेत्र में पत्राचार तथा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। विभाग में हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता काफी कम है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट का नवीनीकरण कर लिया गया है तथा सारी सामग्री द्विभाषी करते हुए अपलोड की जाएगी । राजभाषा नियम 5 का उल्लंघन गंभीर है तथा उसकी जाँच की जाएगी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में सहायक निदेशक तथा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद रिक्त है इसके संबंध में सचिव महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी दिए जाने का आश्वासन दिया ।

6.28 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि गत वर्ष की तुलना में इस साल आंकड़ों में वृद्धि हुई है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है। हालाँकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शत-प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी पत्राचार तथा विभाग के लगभग सारे कार्य हिन्दी में किए जा रहे हैं। विभाग ने कमियों पर संज्ञान लिया है। सारे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में करने के आदेश दिए जा रहे हैं। विभाग की वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा का विकल्प है। सभी कमियों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें अगली बैठक दूर कर लिया जाएगा।

6.29 न्याय विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हाँलाकि, 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य करीब है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा टिप्पण काफी कम है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है परंतु हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों व आशुलिपिकों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर निविदा एवं भर्ती लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जो भी कमियाँ पाई गई हैं उन्हें अगली बैठक से पहले सुधार लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया ने प्रतिनिधि से कहा कि इन कमियों के बारे में अपने संयुक्त सचिव को अवगत कराएँ।

6.30 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' और'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने आशुलिपिकों की प्रतिशतता में कमी आई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे मंत्रालय में तकनीकी प्रकृति का कार्य ज्यादा है फिर भी अधिकतर कार्य हिंदी में ही करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों क्षेत्रों में परिलक्षित हो रही रही कमियों को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है तथा यह उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। वेबसाइट में जो कमियाँ हैं उन्हें यथाशीघ्र सुधार लिया जाएगा। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी।

6.31 वस्त्र मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य हासिल किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हिन्दी टंककों की प्रतिशतता लगभग शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट खुलते समय भाषा का विकल्प प्रदान किया गया है। हालाँकि नीतियां एवं भर्ती लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि 'ख' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी हिन्दी प्रेमी हैं तथा उनका साफ कहना है कि मंत्रालय के सभी कार्य हिन्दी में होने चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी के लिए सभी फाइलें हिंदी में भेजी जाती हैं। साथ ही पत्राचार/टिप्पणी के कार्य भी हिंदी में किए जा रहे हैं। मंत्रालय की वेबसाइट में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा और सभी सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध करवा दी जाएँगी। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी।

6.32 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार को शून्य दर्शाया गया है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता को प्राप्त कर लिया है। हिन्दी टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर भारत का ओपन डेटा पोर्टल लिंक की सूचना अंग्रेजी में है। अधिकारियों/ कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है जो कि सराहनीय है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि 'ग' क्षेत्र में हमारा कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है तथा उस क्षेत्र से पत्राचार नहीं होता है इसलिए 'ग' क्षेत्र में आंकड़े शून्य दर्शाए गए हैं। पत्राचार व फ़ाइल पर हिंदी में कार्य को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी। वेबसाइट द्विभाषी है हालाँकि कुछ कमियां हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

6.33 नीति आयोग

आयोग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है । आयोग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आयोग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है जो कि सराहनीय है मगर हिन्दी में काम करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। आयोग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कौन क्या है, सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, निविदा आदि लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

आयोग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रतिशतता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसका प्रभाव आंकड़ों में दिख रहा है । इसे आगे और सुधारा जाएगा । आयोग में टंकक का कोई पद नहीं है इसलिए आंकड़े शून्य दिखाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग में सम-सामयिक विषयों पर प्रतियोगिताएं हिंदी में आयोजित की जा रही हैं तथा संवाद भी किया जाता है। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं व आयोजन किए गए। हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

6.34 पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय से संबन्धित वित्तीय वर्ष की कोई भी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट बाई-डिफॉल्ट हिंदी में खुलती है जो कि सराहनीय है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इसे उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है तथा इसे तत्परता से सुधार लिया जाएगा। तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भेजी जा रही है तथा सभी बिन्दुओं पर सुधार करने की कोशिश जारी है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी।

6.35 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है हालाँकि हिन्दी में काम करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कई लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टंकक की संख्या शून्य दर्शाना एक तकनीकी चूक है, इसे सुधार लिया जाएगा। हमारे मंत्रालय द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गयीं और हिंदी में कार्य करने के लिए भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया। वेबसाइट में परिवर्तन किया गया है । इसमें आ रही कमियों को जल्द ठीक किया जाएगा। सभी बिन्दुओं पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट साथ लाए हैं तथा ऑनलाइन भी भेज दी जाएगी।

6.36 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य की ओर अग्रसर है । 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार, संगठन की संरचना, फोन निर्देशिका, कौन क्या है, निविदा, कर्मचारी कोना एवं सिटिजन चार्टर के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट की कमी पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त हैं इसलिए हिन्दी का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके संबंध में सचिव महोदया द्वारा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी दिए जाने का आश्वासन दिया गया। रिक्त पदों के संबंध में उन्होंने सूचित किया कि पदों की स्थिति राजभाषा विभाग को सौंप दी जाएगी

6.37 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय)

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार का लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस मंत्रालय की साइट बाई-डिफाल्ट हिन्दी में खुलती है हालाँकि संगठनात्मक चार्ट, सूचना का अधिकार, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निविदा, आरडब्ल्यूपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट से जुड़े कई कार्य हो चुके हैं तथा सामग्री को शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाएगा। सचिव महोदया ने विभाग द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों की सराहना की।

6.38 परमाणु ऊर्जा विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी का पत्राचार लक्ष्य के करीब है जो कि सराहनीय है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया है। विभाग की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रतिशतता बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हमारे यहाँ अधीनस्थ कार्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है तथा सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा पदोन्नति में हिंदी में किए जा रहे कार्यों को भी आधार बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की जीवनी को बच्चों के लिए कॉमिक्स के रूप में कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। साथ ही ऊर्जा विभाग के लिए जागरूकता हेतु 'बुधिया' सीरीज भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा परिभाषा कोष तैयार किया जा रहा है। सचिव महोदया ने परिभाषा कोष को राजभाषा विभाग के साथ साझा करने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि ने अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

6.39 पर्यटन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया लेकिन राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर नागरिक चार्टर, निविदाएं एवं भर्ती लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया जाता है और अगर इसमें कोई लिपिकीय भूल है तो इसकी जांच करवा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में अनुभागों की संख्या ज्यादा होने के कारण रिपोर्ट ससमय प्राप्त नहीं हो पाती है तथा इसकी वजह से आंकड़ों में कमी है। हिंदी में कार्य किया जा रहा है तथा पत्राचार बढ़ाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेबसाइट को नए मैनुअल के अनुसार तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। रिक्तियों का आंकड़ा प्राप्त कर लिया गया है तथा विभाग को सौंप दिया जाएगा। सचिव महोदया ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा की भाषिणी, कंठस्थ या किसी भी अन्य टूल द्वारा अनुदित सामग्री को जांच के पश्चात ही जारी करना या वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6.40 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान का प्रतिशत 100 है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया

गया है तथा इसकी प्रतिशतता बहुत कम है। मंत्रालय की वेबसाइट पर संगठन चार्ट, कौन क्या है, निविदा एवं सूचना का अधिकार के लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके मंत्रालय में अधीनस्थ कार्यालयों में वैज्ञानिक ज्यादा हैं। हालाँकि उनका प्रयास यही होता है कि सारे कार्य हिंदी में किए जाएँ तथा इसकी वजह से सुधार भी परिलक्षित हो रहा है। कार्मिकों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने की योजना है। मंत्रालय की वेबसाइट बाई-डिफाल्ट हिंदी में खुलती है तथा इस पर जो सूचनाएं हिंदी में नहीं है उन्हें जल्द ही सुधार कर द्विभाषी कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों की सूचना भेज दी गई है तथा इन्हें भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6.41 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' तथा 'ख' 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य के काफी करीब है जो कि सराहनीय है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हिन्दी में काम करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता 100 प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर कुछ लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट में जो कमियां है उनको जल्द दूर करवा लिया जाएगा। हमारे यहाँ दोनों भाषाओं में कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष के मुकाबले प्रतिशत बढ़ा है तथा इसमें और सुधार किया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग में सचिव स्तर की बैठकें हिंदी में ही आयोजित की जाती हैं तथा अभी तक 20 लाख शिकायतों का निपटान हिंदी में किया गया है। अध्यक्ष महोदया ने वेबसाइट में 'भाषिणी' के प्रयोग से जुड़ा एक डिस्क्लेमर वेबसाइट पर डालने का सुझाव दिया। सचिव महोदया ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे आगे भी जारी रखने को कहा।

6.42 पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति काफी बेहतर है तथा 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निविदाएं एवं पेंशन मंच के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि टंककों की प्रतिशतता की जाँच पुन: करवा ली जाएगी। साथ ही वेबसाइट में जो कमियां दिखाई गई हैं उनकी भी जाँच करवा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि राजभाषा से जुड़ा हर कार्य विभाग द्वारा द्विभाषी रूप में किया जा रहा है। देश भर के पेंशनभोगियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गयीं तथा विजेताओं को दिल्ली बुलाकर पुरस्कृत किया गया। पेंशनभोगियों को उनके प्रमाण पत्र भी हिंदी में ही जारी किए जाते हैं। उन्होंने सूचित किया कि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा लिखित व निर्देशित हिंदी नाटकों का मंचन एनएसडी द्वारा किया जा चुका है।

6.43 पशुपालन और डेयरी विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें गत वर्ष की अपेक्षा कमी हुई है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य में भी कमी आई है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर कुछ लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ नए जुड़े दो अनुभागों का पत्राचार विदेशों से होता है जिसकी वजह से प्रतिशतता में कमी आई है। सचिव महोदय ने इस समस्या का निदान यथाशीघ्र निकालने के निदेश दिए तथा प्रतिनिधि ने इसका आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि सितंबर तिमाही की QPR रिपोर्ट को बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट में जो कमियां दिख रही हैं उन्हें जल्द ही सुधार लिया जाएगा। उन्होंने विभाग में हिन्दी पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाये जाने की सूचना दी।

6.44 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता बहुत कम है। टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट में दिख रही कमियों को जल्द ही सुधार लिया जाएगा। जुलाई-सितम्बर तिमाही रिपोर्ट तैयार है तथा जल्द ही भिजवा दी जाएगी। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ पखवाड़े के दौरान सात प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई इसमें मूल रचित कविताओं का पाठ किया गया। मंत्रालय द्वारा 'नवांकुर' पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में कई पद रिक्त हैं तथा इससे कार्यान्वयन का कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधि ने अधीनस्थ कार्यालयों में पद समाप्त हो रहे पदों के संबंध में सूचना दी। सचिव महोदया ने पदों के समाप्त होने के बारे में प्रतिनिधि जिम्मेदारी लेते हुए विवरण देने के निदेश दिए।

6.45 बायोटेक्नोलॉजी विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें पिछले साल की अपेक्षा कमी हुई है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। विभाग की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधि ने बताया कि लक्ष्यों को पूरा करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट के संबंध में उन्होंने कहा कि बाई-डिफाल्ट हिंदी में करने तथा अन्य भाषाओं के विकल्प डालने हेतु NIC से संपर्क किया गया है। यथाशीघ्र इसके होम पृष्ठ को द्विभाषी करवा दिया जाएगा।

6.46 भूमि संसाधन विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर संगठन, योजनाएं, निविदाएं एवं सूचना का अधिकार की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधि ने बताया कि मूल कार्य हिंदी में करने तथा पत्राचार के आंकड़े बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कमियाँ हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। वेबसाइट में अपेक्षित सुधार यथाशीघ्र कर लिए जाएंगे। विभाग द्वारा समय-समय पर हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। जुलाई-सितम्बर तिमाही रिपोर्ट जल्द ही भिजवा दी जाएगी।

6.47 गृह मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है तथा यह लक्ष्य से काफी पीछे है। हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर संगठनात्मक ढांचा, निविदाएं, नागरिक चार्टर एवं सूचना का अधिकार के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि मंत्रालय में पत्राचार के मामले में पहले से काफी बदलाव आया है। कार्यशालाओं का आयोजन हर तिमाही में किया जा रहा है। हिंदी जानने वाले अधिकारियों कि संख्या शून्य दर्शाई गई है इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने जल्द ही मंत्रालय द्वारा पत्रिका प्रकाशित किए जाने की सूचना दी। प्रतिनिधि ने कहा कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है तथा उन्होंने 'भारती' अनुवाद टूल में संस्कृत शामिल करने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा।

6.48 भारत निर्वाचन आयोग

आयोग की समीक्षा में पाया गया कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं। हालाकि, 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में वृद्धि हुई है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान की प्रतिशतता 100 है। आयोग की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार, भर्ती, निविदा एवं नागरिक चार्टर लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि जिन मदों में पीछे है इनमें जल्द ही सुधार किया जाएगा। प्रतिनिधि ने हिंदी पखवाड़े के दौरान 8 प्रतियोगिताओं के आयोजन में लगभग 100 लोगों की प्रतिभागिता और विजेताओं को पुरस्कार वितरण की सूचना दी। उन्होंने पदों के रिक्त होने की सूचना दी। प्रतिनिधि ने बताया कि 'उमंग' पत्रिका इस वर्ष भी प्रकाशित की गई है । सचिव महोदया ने नाम में परिवर्तन कर पत्रिका का नाम निर्वाचन आयोग से संबंधित विषय पर रखने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि बताया कि जल्द ही वेबसाइट में अपेक्षित सुधार कर लिए जाएंगे ।

6.49 भारी उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया लेकिन राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हाँलाकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को हासिल किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है । हालाँकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता 100 है। मंत्रालय की वेबसाइट पर संगठन, कौन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, नागरिक चार्टर एवं टेंडर्स (निविदा सूचना और निविदा पुरस्कार) लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुपालन की वापस जाँच की जाएगी। वेबसाइट को द्विभाषी कर दिया गया है हालाँकि उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द सुधार लिया जाएगा। वेबसाइट को बाई-डिफाल्ट हिंदी में करने के प्रयास किए जा रहे हैं । प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई से सितंबर माह की रिपोर्ट भेज दी गई है।

6.50 मंत्रिमंडल सचिवालय

सचिवालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। सचिवालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तथा यह लक्ष्य से भी काफी पीछे है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है । हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य है। सचिवालय की वेबसाइट पर अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, निविदाएं, सूचना का अधिकार एवं भर्ती नियम के लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

सचिवालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हमारी वेबसाइट द्विभाषी है तथा इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प दिया गया है। पत्राचार में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है हालाँकि अधिकतर कार्य गोपनीय प्रकृति के हैं, इसलिए पत्राचार में कमी लक्षित होती है। प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और इसमें हिंदी से संबंधित कई प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं। उन्होंने बताया कि वेबसाइट को अब बाई-डिफॉल्ट हिंदी में कर दिया गया है तथा जल्द ही नई वेबसाइट जारी की जाएगी। प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई से सितंबर माह की रिपोर्ट तैयार है तथा जल्द ही भेज दी जाएगी ।

6.51 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में किए जा रहे पत्राचार में कमी आई है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कई लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इन त्रुटियों को यथाशीघ्र सुधार लिया जाएगा। मंत्रालय में ज्यादातर टिप्पणी तथा पत्राचार हिन्दी में हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट नई है तथा इसकी त्रुटियों को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र ही दुरुस्त करा लिया जाएगा। वेबसाइट बहुभाषी है तथा हमारे कार्य आंकड़ों में परिलक्षित नहीं हो रहे

परन्तु काफी कार्य किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने हिंदी पखवाड़े के सम्बन्ध में सूचना देते हुए बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं करते हुए उनके विजेताओं को सचिव के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां सहायक निदेशक का पद रिक्त है तथा इसे भरे जाने का अनुरोध है। अध्यक्ष महोदया ने इस पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया

6.52 संघ लोक सेवा आयोग

आयोग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार लक्ष्य की ओर अग्रसर है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण के लक्ष्यों पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ोतरी हुई है तथा इसे प्राप्त नहीं किया गया है। आयोग की वेबसाइट पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा अधिकतम टैब हिंदी में हैं जो कि सराहनीय है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ वेबसाइट पर सारी सामग्री अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी अपलोड की जाती हैं तथा इसे उत्तम बनाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षित करते हुए हर महीने रचनात्मक कार्यशाला आयोजित की जाती है। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी पखवाड़े के दौरान 09 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं। जुलाई-सितम्बर तिमाही की रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी। प्रतिनिधि ने सूचना देते हुए बताया कि वेबसाइट पर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। सचिव महोदया ने प्रतिनिधि से प्रश्न पत्र राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवाने के लिए कहा।

6.53 सहकारिता मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क''ख' व 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों का प्रतिशत भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर संगठन चार्ट, निविदाएं, अधिकारियों के बीच कार्य आवंटन, सूचना का अधिकार एवं यात्री चार्टर के अधिकार की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय द्वारा भाग लेने वाले प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारा जा रहा है तथा इसके निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन कर सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने सचिव महोदया से राजभाषा विभाग से तकनीकी विशेषज्ञ भेजने और कार्यशाला आयोजित करवाने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदया ने इसका आश्वासन दिया।

6.54 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लक्ष्य से पीछे है। मंत्रालय की रिपोर्ट में आशुलिपिकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का

विकल्प है परन्तु कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएगे साथ ही वेबसाइट को भी शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि इस तिमाही की रिपोर्ट भेज दी गई है।

6.55 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है।विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान शून्य है। हालाँकि 26 अधिकारी हिंदी जानते हैं कि सूचना में विसंगति है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कमियों पर निरंतर कार्य किया जा रहा है तथा विगत वर्षों से आंकड़ों में वृद्धि दर्ज कि गई है। जुलाई-सितम्बर की तिमाही रिपोर्ट भेज दी गई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के शून्य ज्ञान में कुछ लिपिकीय त्रुटि है तथा इसे सुधार लिया जाएगा। वेबसाइट पर 22 भाषाओं का विकल्प दिया जा रहा है तथा इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। NIC को द्विभाषी सामग्री अपलोड करने हेतु भेज दी गई है। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं तथा इसमें 200 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया। हिंदी के कार्यान्वयन तथा लक्ष्य में आ रही कमियों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ एक निदेशक का पद रिक्त है।

6.56 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। आशुलिपिक 33 प्रतिशत हिंदी में कार्य करते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर बाई-डिफाल्ट हिंदी में खुलती है यह सराहनीय है परन्तु कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 तिमाही की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जुलाई-सितम्बर की तिमाही रिपोर्ट भेज दी गई है। आशुलिपिक 33 प्रतिशत हिंदी में कार्य करते हैं तथा इन्हें जल्द ही प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सलाहकार समिति का गठन करते हुए इसकी बैठक आयोजित कर ली गई है। अध्यक्ष महोदया ने प्रतिनिधि से वेबसाइट में भाषिणी के प्रयोग संबंधी सूचना मांगी। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट पर भाषिणी का उपयोग करते हुए 22 भाषाओं का विकल्प दिया जा रहा है तथा इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। NIC को द्विभाषी सामग्री अपलोड करने हेतु भेज दी गई है। अध्यक्ष महोदया ने AI आधारित अनुवाद टूल्स का उपयोग सावधानी से करने की सलाह दी तथा 'भारती' टूल का उपयोग करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे मंत्रालय में एक उप निदेशक का पद रिक्त है।

6.57 विद्युत मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग ने 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लक्ष्य से पीछे है। हिंदी जानने वालों की संख्या में विसंगति है । मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कई लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पत्राचार की प्रतिशतता में वृद्धि के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। कई कर्मचारियों के ट्रान्सफर की वजह से कार्य प्रभावित हुआ है और संख्या में विसंगति एक लिपिकीय त्रुटि है। इसे सुधार लिया जाएगा। मंत्रालय की वेबसाइट को और उन्नत बताया जा रहा है तथा इसमें और अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है तथा जून माह में इसकी बैठक भी आयोजित कर ली गई है। इस बैठक में वेबसाइट से जुड़े कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनपर कार्य किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदया द्वारा मंत्रालय के प्रतिनिधि से उनके यहाँ की तकनीकी शब्दावली राजभाषा विभाग से भी साझा करने का अनुरोध किया तथा प्रतिनिधि ने इसका आश्वासन दिया।

6.58 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि 'ग' क्षेत्र का पत्राचार लक्ष्य के करीब है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु होम पृष्ठ ई-नागरिक/निविदा (नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, ई-निविदा, पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची), लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि उन्होंने अभी अभी कार्य ग्रहण किया है। वे हिंदी में कार्य करने को प्रतिबद्ध व उत्साहित हैं। हिंदी में कार्य करने हेतु कंठस्थ की मदद ले रहे हैं । हिंदी पत्राचार में विगत वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ है तथा सभी कमियों को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र दुरुस्त कर लिया जाएगा।हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 8 रोचक व ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसमें 100 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया । ये पुरस्कार 10 जनवरी को माननीय मंत्री जी द्वारा दिए जाएंगे। रिक्त पदों के संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि अधीनस्थ कार्यालयों में 118 में से 42 पद रिक्त हैं तथा इन्हें भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके संबंध में संयुक्त सचिव महोदया ने पत्राचार करने के लिए दिशा-निर्देश दिए ।

6.59 संस्कृति मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि इसमें गत वर्ष के मुकाबले वृद्धि है । 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की

वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कुछ टैब की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जुलाई-सितम्बर माह 2025 की तिमाही नहीं भेजी गई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि प्रतिशतता में गत वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ है तथा कमियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इसे दूर कर लिया जाएगा। 'ग' क्षेत्र से पत्राचार को सुधार जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट के नवीनीकरण की प्रकिया चल रही है तथा शीघ्र ही इसमें 22 भाषाओं का विकल्प प्रदान किया जाएगा। NIC से संपर्क कर भाषिणी के उपयोग से आ रही त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया ने भारती सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

6.60 संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। हिंदी में काम करने वाले टंककों की संख्या 25 प्रतिशत दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है। हालाँकि कुछ लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के संबंध में प्रायः चर्चा की जाती है। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट की कमियों को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र ही इनमें आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा। संयुक्त सचिव महोदया ने मंत्रालय द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा टंककों को प्रशिक्षित करा लेने का सुझाव दिया।

6.61 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इनमें काफी कमी आई है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता में गत वर्ष से कमी आई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि उनके यहाँ पदों के खाली होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। आंकड़ों में सुधार के लिए कार्यशालाओं के द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से उचित प्रयास किए जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि वेबसाइट की कमियों को संज्ञान में लेते हुए इसे यथाशीघ्र द्विभाषी कर लिया जाएगा। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 8 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसमें अच्छी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के पुरस्कार सचिव द्वारा प्रदान किए गए।

6.62 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण में कुछ सुधार है लेकिन अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे है। हिंदी में कार्य

करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ टैब की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जुलाई-सितम्बर माह 2025 की तिमाही नहीं भेजी गई है।

प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा सभी अनुभागों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है तथा तिमाही रिपोर्ट शीघ्र भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में वेबसाइट के संबंध में बताई गई कमियों को दूर कर लिया जाएगा। संयुक्त सचिव महोदया ने रिपोर्ट समय पर मंगाने को कहा चूँकि विलम्ब का दुष्परिणाम अंकों पर पड़ता है। इस संबंध में एक SOP जारी करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने टंककों की सूचना को ठीक करने व उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया।

6.63 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट खुलते समय हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है जो कि सराहनीय है। हालाँकि वेबसाइट के कुछ लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जुलाई-सितम्बर माह की तिमाही नहीं भेजी गई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार का प्रतिशत विगत वर्ष के मुकाबले बढ़ा है तथा इसमें निरंतर सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला तथा तिमाही बैठक समय पर आयोजित की जाती है तथा इन बैठकों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट के संबंध में बताई गई कमियों को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तिमाही रिपोर्ट भेज दी गई है इसकी जाँच करवा ली जाएगी।

6.64 रक्षा उत्पादन विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है।'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि इसमें वृद्धि हुई है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता गत वर्ष 100 थी जो कि अब 25 दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर माह की तिमाही नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतिशतता बढ़ाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। सभी कमियों को संज्ञान में लेते हुए उनमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि उनकी नई पोस्टिंग है। कार्य बिंदु व वार्षिक कार्यक्रम से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं तथा इसका परिणाम अगले वर्ष से अवश्य परिलक्षित होगा। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट में अपेक्षित सुधार करेंगे। प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के दौरान 6 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। हमारे यहाँ हिंदी सलाहकार समिति के गठन की चर्चा चल रही है।

6.65 रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है । फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही नहीं भेजी गई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। मूल कार्य हिंदी में हों इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फाइलों में हिंदी टिप्पण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन के लिए नकद पुरस्कार योजना भी चलाई जा रही है। हस्ताक्षर हिंदी में करने हेतु सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुलती है। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 8 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसमें 110 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिनिधि ने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे उनकी हिंदी में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' का प्रकाशन किया है। उन्होंने बताया कि गोपनीयता के कारण अनुवाद हेतु तकनीक का उपयोग अत्यंत ही सीमित है। संयुक्त सचिव महोदया ने इंट्रानेट से इंटीग्रेशन के द्वारा तकनीक के उपयोग का सुझाव दिया।

6.66 रेल मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि यह लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का प्रतिशत में गत वर्ष से वृद्धि हुई है। टंककों की संख्या गत वर्ष से कम हुई है। हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या 198 है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कतिपय टैब हिंदी में नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट के नवीनीकरण की प्रकिया चल रही है तथा शीघ्र ही इसमें 22 भाषाओं का विकल्प प्रदान किया जाएगा। साथ ही सभी रेल विभागों की वेबसाइट द्विभाषी करने पर कार्य किया जा रहा है। वेबसाइट बाई-डिफाल्ट हिंदी में खुले इसके प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि कई टंककों की पदोन्नति हुई है इसलिए संख्या कम परिलक्षित हो रही है।

6.67 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य में गत वर्ष के मुकाबले वृद्धि है परन्तु यह लक्ष्य से पीछे है। हालांकि 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण अपने लक्ष्य से पीछे है। विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसमें विगत वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ भी है। उन्होंने बताया कि हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि सारी कमियों को यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। इसके लिए OLIC की बैठक व कार्यशाला का आयोजन हर तिमाही में किया जा रहा है । उन्होंने अनुरोध किया की वेबसाइट को बाई डिफाल्ट करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा एक पत्र जारी कर दिया जाए। इससे वेबसाइट को बाई डिफाल्ट करने में कोई बाधा नहीं आएगी। संयुक्त सचिव महोदया ने विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे तकनीकी शब्दकोश को राजभाषा विभाग के साथ साझा करने का अनुरोध किया।

6.68 राजस्व विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। टंककों की संख्या में भी कमी आई है । विभाग की वेबसाइट पर कुछ लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बैठकों में सचिव द्वारा सभी कमियों को दूर करने के स्पष्ट निदेश दिए गए हैं। टंककों के संबंध में की गई रिपोर्टिंग में कुछ त्रुटि है तथा इसे ठीक कर लिया जाएगा। विभाग की वेबसाइट को तैयार किया जा रहा है और प्राथमिकता से बदलावों को पूरा करते हुए जल्द ही अपडेट कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई-सितम्बर माह की रिपोर्ट कार्यालय स्थानांतरण होने की वजह से देरी हुई है इसको शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

6.69 लोक उद्यम विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) व राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है । 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर माह की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कमियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इसे दूर कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट का नवीनीकरण किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसमें 22 भाषाओं का विकल्प प्रदान किया जाएगा। वेबसाइट को शीघ्र ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 8 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसमें 18 पुरस्कार प्रदान किए गए। संयुक्त सचिव महोदया द्वारा विभागीय पत्रिका के संबंध में पूछे गए पश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने सूचित किया कि उनके यहाँ से पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

6.70 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण क लक्ष्य प्राप्त नहीं है हालाँकि अपने लक्ष्य से करीब है। टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है ।विभाग मंत्रालय की वेबसाइट के खुलते समय हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है जी कि सराहनीय है हालाँकि कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे साथ ही सभी कमियों को शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा । प्रतिनिधि ने बताया कि टंककों की प्रतिशता में त्रुटि है इसकी पुन: जाँच करवा ली जाए। विभाग की वेबसाइट को जल्द ही हिंदी में किया जाएगा तथा कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा।

6.71 व्यय विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा यह लक्ष्य से काफी पीछे है जो कि चिंताजनक है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है ।विभाग मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर माह की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और उसे संतोषजनक न बताते हुए उन्होंने भविष्य में सभी कमियों को सुधारने का आश्वासन दिया । हिंदी में कार्य करने व पत्राचार में वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत हैं । उन्होंने बताया कि OLIC की बैठक व कार्यशाला का आयोजन हर तिमाही में किया जा रहा है तथा इसमें सभी कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने हेतु निदेशित किया जाता है । उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट द्विभाषी है जो टैब हिंदी में नहीं हैं उन्हें जल्द ही हिंदी में किया जाएगा । हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसके विजेताओं को माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।

6.72 वाणिज्य विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है । विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है साथ ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही नहीं भेजी गई है ।

विभाग के प्रतिनिधि ने भविष्य में सभी कमियों को सुधारने का आश्वासन दिया । उन्होंने बताया कि OLIC की बैठक व कार्यशाला का आयोजन हर तिमाही में समय पर किया जा रहा है तथा इसमें पत्राचार को बढ़ाने हेतु आवश्यक निदेश दिए जाते हैं । उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट की कमियों को संज्ञान में लेते हुए सभी आवश्यक सुधार कर लिए जाएंगे। संयुक्त सचिव महोदया ने हिंदी सलाहकार समिति के संबंध में सूचना मांगी जिसके उत्तर में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि समिति का गठन कर लिया गया है तथा दिसंबर माह में बैठक आयोजित कर ली जाएगी ।

6.73 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है। साथ ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने धारा 3(3) व नियम 5 के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए ठीक करने का आश्वासन दिया तथा बताया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि OLIC की बैठक व कार्यशाला का आयोजन हर तिमाही में समय पर किया जा रहा है तथा इसमें पत्राचार को बढ़ाने हेतु आवश्यक निदेश दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट की कमियों को संज्ञान में लेते हुए सभी आवश्यक सुधार कर लिए जाएंगे। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसके विजेताओं को 26 जनवरी, 2026 को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हिंदी सलाहकार समिति के संबंध में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने सूचित किया कि समिति का गठन कर बैठक आयोजित कर ली गई है तथा इस बैठक में विभाग द्वारा पत्रिका प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदया ने विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे तकनीकी शब्दकोश को राजभाषा विभाग के साथ साझा करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने हिंदी में कार्य करने हेतु वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने का सुझाव दिया।

6.74 वित्तीय सेवाएं विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि विभाग लक्ष्य प्राप्ति के बहुत नजदीक है जो कि सराहनीय है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि गत वर्ष के मुकाबले आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है तथा इसमें और सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ टंकक नहीं हैं। उन्हें टंककों की जगह पीए-पीएस को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया। तिमाही रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट द्विभाषी है जो टैब हिंदी में नहीं हैं उन्हें जल्द ही हिंदी में किया जाएगा। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है। हिंदी में कार्य करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है तथा वे स्वयं हिंदी में टिप्पण लेखन करते हैं। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसके विजेताओं को सचिव द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उनके विभाग में सहायक निदेशक का पद रिक्त है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक यथाशीघ्र कर ली जाएगी। अध्यक्ष महोदया ने हिंदी में नोटिंग के प्रयास की सराहना की तथा रिक्त पद को भरे जाने का आश्वासन दिया।

6.75 विदेश मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण निर्धारित लक्ष्य से पीछे है हालाँकि इसमें गत वर्ष से वृद्धि हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही नहीं भेजी गई है।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विदेश मंत्रालय में 15 में से 7 पद खाली हैं तथा इसके कारण कार्य निष्पादन में समस्या होती है। उन्होंने इन पदों के भरे जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ कार्यालयों से रिक्त पदों के संबंध में सूचना मंगाई जा रही है। वे प्रतिशतता बढ़ाने के सभी प्रयास कर रहे हैं हालाँकि विदेशों से पत्राचार ज्यादा होने के कारण पत्राचार की प्रतिशतता में कमी है। दूतावासों के साथ पत्राचार व मिशनों में तैनात लोगों के कारण पत्राचार कम परिलक्षित होता है। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसमें 27 पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी सलाहकार समिति की फाइल राजभाषा विभाग को भेजी गई है। प्रतिनिधि ने यह भी अवगत कराया कि अगले वर्ष 'विश्व हिंदी सम्मेलन' का आयोजन भारत में किया जाना प्रस्तावित है तथा इस सम्मेलन में राजभाषा विभाग से सहयोग की आवश्यकत को रेखांकित किया। अध्यक्ष महोदया ने प्रतिनिधि के नेतृत्व की सराहना करते हुए सभी अनुरोधों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

6.76 विधायी विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कई लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पिछली बैठक में प्रतिशतता में विसंगति एक लिपिकीय भूल थी तथा उसे सुधार लिया गया है। राजभाषा खंड में शत प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जा रहा है। हालाँकि मूल विधायी विभाग में हिंदी का प्रयोग कम हो पाता है तथा इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। विभाग द्वारा 'भारती' टूल का प्रयोग किया जा रहा है तथा सभी कानूनों को हिंदी में भी उपलब्ध कराने की योजना है। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं इसके अलावा हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से विभाग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। अध्यक्ष महोदया ने विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे तकनीकी शब्दकोश को राजभाषा विभाग के साथ साझा करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि ने इसका आश्वासन देते हुए सूचित किया कि इस शब्दकोश के माध्यम से कानून से जुड़ी शब्दावली को और आसान बनाने की कोशिश की गई है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है। जुलाई-सितम्बर माह की रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने विभाग में 3 पद रिक्त होने की सूचना दी तथा उन्हें भरे जाने का अनुरोध किया।

6.77 विधि कार्य विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है।विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन का उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया है तथा इसके अनुपालन हेतु सख्त निदेश दिए गए हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पत्राचार की प्रतिशतता में वृद्धि के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की वेबसाइट को और उन्नत बताया जा रहा है तथा इसमें और अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इसके इसके अंतर्गत 72 पुरस्कार प्रदान किए गए। उनका विभाग नियमित रूप से कार्यशाला व OLIC की बैठक कर रहा है तथा हिंदी में कार्य करने हेतु नकद पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है। उन्होंने जुलाई-सितम्बर की रिपोर्ट शीघ्र भेजे जाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि ने दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के पद रिक्त की सूचना दी और उन्हें शीघ्र भरने की माँग की। इस संबंध में संयुक्त सचिव महोदया ने कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया।

6.78 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुलती है जो कि सराहनीय है हालाँकि कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन को संज्ञान में लिया गया है तथा इसके अनुपालन हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह रिपोर्टिंग में भूलवश हो सकता है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट को और उन्नत बताया जा रहा है तथा इसमें अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। हिंदी सलाहकार समिति के संबंध में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि समिति का गठन कर लिया गया है तथा 14 नवंबर को बैठक प्रस्तावित है। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा पुरस्कार शीघ्र ही प्रदान किए जाएंगे। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आंकड़ों में सुधार लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है तथा ई-फाइल में द्विभाषी टिप्पण पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही जांच बिंदु जारी करते हुए मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि OLIC का पुनर्गठन किया गया है तथा इसकी बैठक में कमियों पर चर्चा की जाएगी।

6.79 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन को संज्ञान में लिया गया है तथा कार्यशालाओं में इसके अनुपालन हेतु निदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वेबसाइट को और उन्नत बताया जा रहा है तथा इसमें अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। हिंदी पखवाड़े के बारे में सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अंतर्गत वाचन, कथा कहन, सांत्वना के रूप में श्रेष्ठ निष्पादन पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही भारतीय ज्ञान विषय और मानव मूल विषय जैसे नवीन विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदया ने अभिनव प्रयासों की सराहना की तथा सुझाव दिया की इस तरह के आयोजन सभी कर सकते हैं।

6.80 मत्स्यपालन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग के सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। विभाग की वेबसाइट बाई-डिफाल्ट हिंदी में खुलती है जो कि सराहनीय है हालाँकि कतिपय लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जुलाई-सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि जुलाई-सितम्बर की तिमाही रिपोर्ट यथाशीघ्र भेज दी जाएगी। वेबसाइट कि कमियों को संज्ञान में लाते हुए अपेक्षित सुधार कर लिए जाएंगे। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट को DBIM प्रोटोकाल के अनुसार 22 भाषाओं में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा तकनीकी शब्दकोश तैयार किया जा रहा है तथा उसे राजभाषा विभाग के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा विभाग की पत्रिका भी जल्द प्रकाशित कर ली जाएगी। उन्होंने रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करते हुए बताया की पदोन्नति, SSC द्वारा परीक्षा व डीपीसी इत्यादि के द्वारा जल्द ही रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। हिंदी पखवाड़े के दौरान 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा सभी को विभाग के सचिव द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

6.81 नागर विमानन मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' तथा 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शून्य है वहीं हिंदी में काम करने वाले अधिकारी 17 हैं। इस सूचना में विसंगति है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन चार्ट, निविदाएं, अधिकारियों के बीच कार्य आवंटन, सूचना का अधिकार एवं यात्री चार्टर के अधिकार की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि रिपोर्ट भरने में भूल हुई है तथा इस विसंगति की जांच करते हुए जल्द ही सुधार लिया जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर बैठक आयोजित कर ली गई है तथा संसदीय समिति द्वारा मंत्रालय का निरीक्षण भी कर लिया गया है। मंत्रालय में कार्यशालाओं तथा OLIC का आयोजन समय पर किया जा रहा है। वेबसाइट की कमियों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों की सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है तथा इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

******

अनुलग्नक-'क'

दिनांक 06 नवंबर, 2025को पूर्वाह्न 11:00-1:00 बजे आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	अंतरिक्ष विभाग
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
3.	आयुष मंत्रालय
4.	आर्थिक कार्य विभाग
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7.	इस्पात मंत्रालय
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले विभाग
10.	उर्वरक विभाग
11.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
12.	औषध विभाग
13.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
14.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
15.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
16.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
17.	कोयला मंत्रालय
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)
21.	खान मंत्रालय
22.	ग्रामीण विकास विभाग
23.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
26.	डाक विभाग
27.	दूर संचार विभाग

दिनांक 07 नवंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11:00-1:00 बजे आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
2.	न्याय विभाग
3.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
4.	वस्त्र मंत्रालय
5.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
6.	नीति आयोग
7.	पंचायती राज मंत्रालय
8.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
9.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
10.	पेयजल और स्वच्छता विभाग
11.	परमाणु ऊर्जा विभाग
12.	पर्यटन मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
14.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
15.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
16.	पशुपालन और डेयरी विभाग
17.	पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
18.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
19.	भूमि संसाधन विभाग
20.	गृह मंत्रालय
21.	भारत निर्वाचन आयोग
22.	भारी उद्योग विभाग
23.	मंत्रिमंडल सचिवालय
24.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
25.	संघ लोक सेवा आयोग
26.	सहकारिता मंत्रालय
27.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

दिनांक 10 नवंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11:00-1:00 बजे आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक के तृतीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय
2.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
5.	संस्कृति मंत्रालय
6.	संसदीय कार्य मंत्रालय
7.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
8.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
9.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
10.	रक्षा उत्पादन विभाग
11.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
12.	रेल मंत्रालय
13.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
14.	राजस्व विभाग
15.	लोक उद्यम विभाग
16.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
17.	व्यय विभाग
18.	वाणिज्य विभाग
19.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
20.	वित्तीय सेवाएं विभाग
21.	विद्युत मंत्रालय
22.	विदेश मंत्रालय
23.	विधायी विभाग
24.	विधि कार्य विभाग
25.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
26.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
27.	मत्स्यपालन विभाग
28.	नागर विमानन मंत्रालय

दिनांक 06, 07 एवं 10 नवंबर, 2025 के दौरान आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उपस्थित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम
1.	अंतरिक्ष विभाग	डॉ. राजीव कुमार जासवाल, विशेष कार्य अधिकारी डॉ. शंकर कुमार, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री तपन कुमार दास, उप सचिव
3.	आयुष मंत्रालय	श्रीमती पूर्णिमा बोस, उप निदेशक (रा.भा.)
4.	आर्थिक कार्य विभाग	सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन)
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	श्री गोपाल प्रसाद, आर्थिक सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (रा.भा. प्रभारी) श्री संतोष सिल्पोकर, निदेशक
6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री विजय कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री शिव कुमार निगम, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) श्री गौरव खन्ना, डेवलपर सुश्री रचना नेमा, सहायक निदेशक (रा.भा.)
7.	इस्पात मंत्रालय	श्रीमती सुदर्शन मैंदीरत्ता, संयुक्त सचिव श्री आनंद भोई, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) श्री चन्द्रेश कुमार मीना, सहायक निदेशक
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री सूरत सिंह, संयुक्त सचिव श्री सुखबीर सिंह, उप निदेशक(रा.भा.)
9.	उर्वरक विभाग	श्री मोहन लाल मीना, उप सचिव (रा.भा.) श्रीमती विमला दहिया, उप निदेशक (राजभाषा)
10.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सुश्री निधि केसरवानी, संयुक्त सचिव श्री बी.एल. मीना, उप निदेशक (राजभाषा)
11.	औषध विभाग	श्री विशाल विश्वनाथ नायर, आर्थिक सलाहकार श्री बसन्त कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
12.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	श्री नरेन्द्र कुमार, उप सचिव श्री बृजेश कुमार, सहायक निदेशक (रा.भा.)
13.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सुश्री नीलम ग्रेस एक्का, उप-निदेशक (राजभाषा)
14.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री रवि कुमार वर्मा, निदेशक मो. रौशन जमाँ रिजवी, सहायक निदेशक (राजभाषा)
15.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	श्री जगमोहन सिंह नेगी, संयुक्त निदेशक
16.	कोयला मंत्रालय	श्रीमती आस्था जैन, संयुक्त निदेशक
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	श्री नरेश कुमार, उप निदेशक (राजभाषा) श्री संजय राघव, सहायक निदेशक (राजभाषा)
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री अरुणव सेन गुप्ता, उप सचिव श्री राजेन्द्र सिंह तूर, उप निदेशक (रा.भा.)
19.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)	श्री अजय कुमार झा, उप निदेशक (रा.भा.)
20.	खान मंत्रालय	श्री आलोक कुमार, उप सचिव सुश्री बन्दना एम. तिर्की, उप निदेशक (रा.भा.)
21.	ग्रामीण विकास विभाग	श्री रामचन्द्र, उप सचिव
22.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय	श्री भवानी शंकर, महानिदेशक (राजभाषा) श्री किरन पाल सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)
23.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	श्री वेद प्रकाश मीना, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
24.	डाक विभाग	श्री प्रदीप कुमार, उपमहानिदेशक
25.	दूर संचार विभाग	श्री सुनील कुमार रंजन, उप महानिदेशक श्री कमल स्वरूप, उप निदेशक (राजभाषा अनुभाग)
26.	उपभोक्ता मामले विभाग	श्री शशि भूषण, सलाहकार लागत डॉ. जगदीश प्रसाद मीना, संयुक्त निदेशक
27.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	श्री विनोद कुमार, उप निदेशक (राजभाषा)
28.	न्याय विभाग	श्रीमती जसलीन कौर, उप सचिव (प्रशासन) श्रीमती शोभना श्रीवास्तव, परामर्शदाता (राजभाषा)
29.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री रामपाल सिंह, निदेशक श्रीमती शीबा जयराज, उप निदेशक (राजभाषा)

30.	वस्त्र मंत्रालय	श्रीमती अंशु गुप्ता, उप निदेशक (रा.भा.)
31.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	श्री अमित राय, आर्थिक सलाहकार सुश्री मंदीप कौर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
32.	नीति आयोग	डॉ. आशीष कुमार पंडा, उप सचिव (प्रशासन) श्री नवीन कुमार टोप्पो, उप निदेशक (रा.भा.)
33.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक (रा.भा.)
34.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	डॉ. ज्योति मिश्रा, उप-निदेशक (राजभाषा)
35.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	श्रीमती बबिता गुंज्याल, सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री योगेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
36.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	श्री गंगेश्वर भट्ट, सहायक निदेशक श्री दीपक डागर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकरी
37.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री अचलेश्वर सिंह, निदेशक (राजभाषा)
38.	पर्यटन मंत्रालय	श्री मनोज कुमार दुबे, उप निदेशक (रा.भा.)
39.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्रीमती उर्मिला हरित, निदेशक (राजभाषा)
40.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	श्री राकेश कुमार, उप निदेशक सुश्री अनुला मेहता, सहायक निदेशक (रा.भा.)
41.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	श्रीमती मंजू गुप्ता, उप निदेशक
42.	पशुपालन और डेयरी विभाग	श्री आर.पी. एस. राठौर, निदेशक (रा.भा.) श्रीमती स्वाति मेल्टी, उप निदेशक (रा.भा.)
43.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	श्रीमती संगीता तोपनो, उप निदेशक
44.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	श्री प्रवीण शर्मा, उप सचिव
45.	भूमि संसाधन विभाग	श्री पी.के. अब्दुल करीम, ई.ए. श्री कन्हैया प्रसाद लाल, संयुक्त निदेशक
46.	गृह मंत्रालय	श्रीमती अनुपमा परमार, संयुक्त निदेशक (रा.भा.) श्री नानक चंद, उप निदेशक(रा.भा.) श्री अजय कुमार सरोज, निजी सचिव
47.	भारत निर्वाचन आयोग	श्री के.पी. सिंह, सचिव (राजभाषा) श्री नीरज कुमार, उप निदेशक (रा.भा.)
48.	भारी उद्योग मंत्रालय	श्री मीठालाल मीना, उप निदेशक(रा.भा.)
49.	मंत्रिमंडल सचिवालय	श्री आशीष मल्होत्रा, निदेशक (प्रशासन) श्री आशिष कात्यायन, उप निदेशक (राजभाषा)
50.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	श्रीमती पद्मजा वशिष्ठ, निदेशक व प्रभारी राजभाषा श्री परमजीत यादव, उप निदेशक (रा.भा.) श्री सुरेश कुमार श्रीवस, सहायक निदेशक(रा.भा.)
51.	संघ लोक सेवा आयोग	श्रीमती तरूणा जंगपांगी, निदेशक (रा.भा.) श्रीमती भारती पुंजा, उपनिदेशक (रा.भा.)
52.	सहकारिता मंत्रालय	श्री आनन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव श्री अफसर अहमद, निदेशक (राजभाषा)
53.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	श्री राजेन्द्र कुमार, उपनिदेशक श्री रवि कान्त मिंज, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
54.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री सुप्रीत सिंह गुलीटी, संयुक्त सचिव श्री आशीष कुमार गुप्ता, निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी
55.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	श्री तरुण कुमार, उप निदेशक (रा.भा.)
56.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्री राजेश चौधरी, उप सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा) श्री संजय कुमार, उप निदेशक (राजभाषा) श्री नरेश रजक, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
57.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	श्री ईलांगबम रोबर्ट सिंह, संयुक्त सचिव श्री विनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
58.	संस्कृति मंत्रालय	श्री मनोज कुमार चौधरी, उप निदेशक (रा.भा.)
59.	संसदीय कार्य मंत्रालय	श्री अनिल कुमार, उप सचिव श्री पवन कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
60.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री प्रशांत कुमार, उप निदेशक (रा.भा.)
61.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	श्रीमती बीनू के. बी., सहायक निदेशक, रा.भा. (प्रभारी)
62.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	श्री योगेश मल्होत्रा, उप निदेशक (रा.भा.) सुश्री शिल्पी सिन्हा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

63.	रक्षा उत्पादन विभाग	श्रीमती मीना बक्शी, उप निदेशक (राजभाषा)
64.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग	श्रीमती दिपाली प्र. चव्हाण, निदेशक सुश्री रूपा कपूर, सहायक निदेशक
65.	रेल मंत्रालय	डॉ. वी. सुगुणा, निदेशक (राजभाषा) श्रीमती अंजु गेरा, उपनिदेशक (राजभाषा)
66.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	श्री गंगा कुमार, उप महानिदेशक श्री राकेश कुमार झा, उप निदेशक (रा.भा.) श्री काले खां, सहायक निदेशक (रा.भा.)
67.	राजस्व विभाग	श्री शंकर लाल कुमावत, निदेशक (मुख्यालय) सुश्री सुधा वर्मा, उप निदेशक (रा.भा.)
68.	लोक उद्यम विभाग	श्री पवनेश कुमार शर्मा, निदेशक (प्रशा. एवं सम.)
69.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	सुश्री सरोज गिरी, उपनिदेशक(रा.भा.)
70.	व्यय विभाग	श्री सुदर्शन कुमार, उप सचिव एवं प्रभारी राजभाषा श्रीमती अनु मल्होत्रा, उप निदेशक (रा.भा.)
71.	वाणिज्य विभाग	श्री अश्विनी कुमार कश्यप, उप महानिदेशक श्री संजय पाटिल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
72.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	श्रीमती अरुमुगम धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक (रा.भा.)
73.	वित्तीय सेवाएं विभाग	श्री चन्द्रदीप कुमार झा, उप महानिदेशक श्री धर्मबीर, उप निदेशक (रा.भा.)
74.	विद्युत मंत्रालय	श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (प्रभारी राजभाषा) श्री शमशेर सिंह, उप निदेशक (रा.भा.)
75.	विदेश मंत्रालय	सुश्री अंजु रंजन, संयुक्त सचिव श्री रवि कांत, उप निदेशक (रा.भा.)
76.	विधायी विभाग	डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी श्री पांडेय राकेश, उप निदेशक (राजभाषा)
77.	विधि कार्य विभाग	श्री शेर सिंह डागर, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री संजय कुमार, उप निदेशक (रा.भा)
78.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	श्री अतनु कुमार चौधुरी, उप महानिदेशक श्रीमती संतोष कुमारी, उपनिदेशक (रा.भा.)
79.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री कुमार राधारमण, उप-निदेशक (राजभाषा)
80.	मत्स्यपालन विभाग	श्री हरीश राजपाल, उप सचिव (प्रशासन) सुश्री एस. रेशमी, सहायक निदेशक (राजभाषा)
81.	नागर विमानन मंत्रालय	ले. कर्नल एम.के. सिंह, निदेशक(रा.भा.)

दिनांक 06, 07 एवं 10 नवम्बर, 2025 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक में राजभाषा विभाग से उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अंशुली आर्या	सचिव, राजभाषा विभाग
2.	डॉ. निधि पांडेय	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
3.	ले. कर्नल रामनरेश शर्मा	निदेशक (का.)
4.	सुश्री भावना सक्सेना	सहायक निदेशक, रा.भा. विभाग
5.	श्री शशी पाल सिंह	संयुक्त निदेशक (CDAC)
6.	श्री संतोष कुमार	अनुसंधान अधिकारी (का-2)

******